UPAU010013282015

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया**

सत्र वाद संख्या–60 सन 2015

राज्य बनाम शिवकरन आदि
मुकदमा अपराध संख्या–537/2014
धारा–323, 504, 506, 304 भा.दं.सं.
थाना–अजीतमल, जिला औरैया

**दिनांकः–22.07.2025**

1. पत्रावली पेश हुयी। विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 56 ख न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण उपस्थित एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 56 ख का विरोध नहीं किया गया।

2. प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 सी.आर.पी.सी ख–56 विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह प्रार्थना की गयी है कि उपरोक्त प्रकरण में पंचायतनामा भरने वाले साक्षी एस.आई. सतीशचन्द्र यादव की मृत्यु हो चुकी है। एस.आई. सतीशचन्द्र यादव के साथ पंचायतनामा भरते समय हमराही के तौर पर एच.सी.पी. प्रेम सिंह व एच.सी. कमलेश कुमारी मौजूद रहे है। इनका द्वितीयक साक्षी के रूप में साक्ष्य कराना आवश्यक है। अतः उपरोक्त प्रकरण में पंचायतनामा को प्रमाणित करने हेतु साक्षीगण एच .सी.पी. प्रेम सिंह व एच.सी. कमलेश कुमारी को द्वितीयक साक्ष्य हेतु तलब किये जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

3. प्रार्थनापत्र ख–56 पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक कथन किया गया है कि इन साक्षीगण का साक्ष्य कराने में कोई आपत्ति नहीं है।

4. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में पंचायतनामा करने वाले साक्षी एस.आई. सतीशचन्द्र यादव की मृत्यु हो चुकी है। पंचायतनामा भरते समय एस.आई. सतीशचन्द्र यादव के साथ हमराही के तौर पर एच.सी.पी. प्रेम सिंह व एच.सी. कमलेश कुमारी मौजूद रहे है। न्यायहित में उनका साक्ष्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इन गवाहों का बयान कराना न्यायसंगत विनिश्चय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

5. **दं0प्र0सं0 1973, की धारा 311** में यह प्रावधान वर्णित है कि **आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति–** कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जॉच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।

6. **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था (इददर एवं अन्य बनाम आबिदा एवं अन्य 2008 सुप्रीम कोर्ट किम0 2008(1) एससीसी(किम) 22** में यह अवधारित किया गया है कि–दं0प्र0सं0 की धारा 311 का प्रयोजन न्याय की विफलता को रोकना है। दं0प्र0सं0 की धारा 311 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, इस विषय में यह अवधारित किया गया है कि निर्णायक कारक यह है कि यह आवश्यक है कि वाद का निर्णय उचित हो।

**माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था (रामा पासवान एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड, 2008 सु0को0कि0रू 568)** में यह अवधारित किया गया है कि– दं0प्र0सं0 की धारा 311

Digitally signed by Parul Jain
Date: 2025.07.22 16:33:37 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

दो भागो में है। पहला भाग न्यायालयो को पूर्णतः वैवेकिक शक्ति प्रदान करता है कि वह तात्विक साक्षी को जॉच विचारण या कार्यवाहियों के किसी स्तर पर समन करे। दूसरा भाग आज्ञापक है और न्यायालय को बाध्य करता है कि वह ऐसी कोई कार्यवाही करे, जो न्याय करने के लिए आवश्यक है।

7. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ख–56 उपरोक्त स्थापित धारा 311 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुरूप है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में है। अतः उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के न्यायपूर्ण निर्णयन के लिए प्रश्नगत साक्षीगण एच.सी.पी. प्रेम सिंह व एच.सी. कमलेश कुमारी को Secondary Evidence (द्वितीयक साक्ष्य) के रूप में परीक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र ख–56 स्वीकार किए जाने योग्य है।

## आदेश

प्रार्थनापत्र ख–56 स्वीकार किया जाता है कि साक्षीगण एच.सी.पी. प्रेम सिंह व एच.सी. कमलेश कुमारी के न्यायालय में उपस्थित होने पर उसी दिन साक्ष्य पूर्ण किया जाएगा। सम्बन्धित साक्षीगण को जरिए समन Secondary Evidence (द्वितीयक साक्ष्य) के रूप मुें आहूत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते Secondary Evidence (द्वितीयक साक्ष्य) दिनांक 25.07.2025 को पेश हो।

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
कक्ष संख्या–01, औरैया